नगर विकास योजना का मूल्यांकन
सूरत

मार्च 2006

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान
कोर 4 बी, भारत पर्यावास केन्द्र
लोदी रोड़, नई दिल्ली 110003

किसी प्रकार की शंका होने पर कृपया सुश्री उषा रघुपति से ई मेल से सम्पर्क करें (email: uraghupathi@niua.org)

नगर विकास योजना का मूल्यांकनः सूरत

सूरत के लिए नगर विकास योजना (2006-12) सही तरह से तैयार की गई है। चूंकि वस्त्र निर्माण उद्योग, व्यापार, हीरा तराशी व पालिश उद्योगों की बहुलता के कारण शहर का आर्थिक आधार काफी मजबूत है, अतः नगर विकास योजना (सी.डी.पी.) में शहरी सुशासन व बेहतर सेवा-व्यवस्था की मार्फत आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन देने पर ध्यान दिया गया है। सूरत शहर का विश्वस्तरीय मानकों के साथ विश्वव्यापी शहर बनने का सपना सर्वथा उचित है।

नगर विकास योजना (सी.डी.पी.) तीन सोपानों में विभक्त है - वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, भावी संकल्पना एवं कार्यनीतियां तथा नगर निवेश योजना।

हितबद्ध पक्षों के साथ विचार विनिमय

1. सूरत नगर निगम ने वर्ष 2000 में हितबद्ध पक्षों के साथ विचार विनिमय के साथ नगर विकास कार्यनीतियां तैयार करने की परियोजना शुरू की थी। सी.डी.पी. में कहा गया है कि हितबद्ध पक्षों में गैर-सरकारी संगठन, सरकारी संगठन (पुलिस विभाग, कलक्टरी, जीएसटी, जीपीसीबी आदि), वाणिज्यिक संगठन, सांसद, विधायक, निगम पार्षद, प्रबुद्ध नागरिक, टेक्नोक्रेट और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। इससे सपष्ट है कि हितबद्ध पक्षों के साथ विचारों का व्यापक आदान-प्रदान किया गया है। किन्तु यह ज्ञात नहीं है कि क्या गरीबों के प्रतिनिधियों से भी सलाह मशविरा किया गया।

सूरत नगर निगम :

विचार विनिमय प्रक्रिया में सभी गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ गरीबों के प्रतिनिधियों सहित सामाजिक संगठन शामिल थे। इसके अलावा यह एक त्रि-स्तरीय शहरी स्थानीय शासन निकाय है, जिसमें शहरी गरीबों और स्लम क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले निगम पार्षद भी विचार विनिमय प्रक्रिया का अंग होते हैं। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत 12000 फॉर्म बांटे गये और सभी लोगों के विचार लिए गये। साथ ही शहरी गरीबों पर सामाजिक अध्ययन केन्द्र, जो स्लम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था तथा जीवन स्तर में सुधार जैसे मुद्दों को देखता है, की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया।

यह सी.डी.पी. समुदाय विकास स्कीम के कार्यकरण पर आधारित है।

1. वर्तमान स्थिति का विश्लेषण

यह विश्लेषण बहुत अच्छा है। किन्तु उसमें प्रवासन और औपचारिक सैक्टर जैसे मुद्दों पर ब्यौरे-वार चर्चा नहीं हैं। एक औद्योगिक शहर होने के नाते, सूरत में बड़ी संस्था में प्रवासी आते हैं। इस प्रवासन का शहर की आवास स्थिति और औपचारिक सैक्टर पर प्रभाव पड़ना लाजिमी है। अतः इसे सी.डी.पी. में शामिल किया जाए।

भूमि संबंधी मुद्दों, बुनियादी सेवाओं व सुविधाओं तथा परिवहन का विस्तार से उल्लेख है, जो उन सेवा सुविधाओं के प्रसंग में शहर की वर्तमान स्थिति का परिचायक है। किन्तु उसमें संस्थायी दायित्व और प्राइवेट सैक्टर की भूमिका नहीं दर्शायी गई है। बुनियादी सेवाओं/सुविधाओं बाबत लागत वसूली और निवेश पहलुओं पर चर्चा नहीं है। अस्तु सेवा/सुविधाओं की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, प्रत्येक सेवा सुविधा के वित्तीय पहलू (परिचालन व अनुरक्षण तथा निवेश पहलू) भी प्रस्तुत किए जाएं।

आवास व स्लम खण्ड में शहर की आवास स्थिति दी गई है। किन्तु शहरी गरीबों की आवास जरूरतों का जिक्र नहीं है। यों स्लमवासियों की आवास स्थिति तथा उन्हें प्राप्त बुनियादी सेवाओं के ब्यौरे आवश्यक हैं।

सी.डी.पी. में शहर के अंदर सामाजिक सुविधा तंत्र यानी शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन पहलुओं का प्रचुर उल्लेख है।

सूरत नगर निगम का वित्तीय उल्लेख काफी व्यापक है और ठीक तरह प्रस्तुत किया गया है। निगम की विगत पांच वर्षों (2001-2005) की वित्तीय सूचना इस प्रकार है :-

1. सूरत नगर निगम की राजस्व आय 400 करोड़ रु0 से बढ़ कर 620 करोड़ रु0 हो गई।
2. राजस्व खर्च 300 करोड़ रु0 से बढ़ कर 440 करोड़ रु0 हुआ।
3. राजस्व मुनाफा 90 करोड़ रु0 से बढ़ कर 180 करोड़ रु0 हो गया।
4. निगम की पूंजीगत आय 1700 करोड़ रु0 से बढ़ कर 13,925 करोड़ रु0 हो गई।
5. निगम का पूंजीगत खर्च 160 करोड़ रु0 से 200 करोड़ रु0 के बीच रहा।

वर्ष 2004-05 में चुंगी और पथ कर का राजस्व आय में अंशदान 57% था जबकि सम्पति कर का अंशदान 24% था। पूंजीगत आय 46.56 करोड़ रु0 रही और पूंजीगत खर्च 174.87 करोड़ रु0 रहा। निगम के पूंजीगत परिचालन अनुपात घाटे की पूर्ति राजस्व खाते से की गई। वर्ष (2004-2005) में सड़कों व पुलों पर 37% पूंजीगत खर्च हुआ तथा जल आपूर्ति परियोजनाओं पर 23% खर्च किया गया।

सूरत नगर निगम की राजस्व आय न्यूनतम 7% से अधिकतम 15% वार्षिक बढ़ाने तथा राजस्व व्यय न्यूनतम 5% से अधिकतम 8% वार्षिक करने का प्रायोजन किया गया है।

2. संकल्पना व कार्यनीतियाँ

सूरत की सी.डी.पी. में विजन व स्ट्रेटिजीज (संकल्पना व कार्य नीतियां) एक ही अध्याय में भली भांति दर्शाई गई हैं, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक के खण्ड में मुख्य विषय, व्यवहारनीति, कार्य योजना/कार्यों,

निहित संस्थानों व परियोजनाओं को दरसाया गया है, कार्यनीतियों के अन्तर्गत विजन के लिए कार्यशील योजना दी गई है। लेकिन कार्यनीतियों प्रावस्था क्रम के साथ प्राथमिकता क्रम नहीं है।

वर्तमान स्थिति विश्लेषण खण्ड में प्रत्येक सेक्टर बाबत उभरते मुद्दे दर्शाये गए हैं, किन्तु कई परियोजनाएं मुद्दों के अनुरूप नहीं है। लगता है शहरी कायाकल्प अभियान के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं का वित्तपोषण सूरत नगर निगम द्वारा अपने निजी स्रोतों से किया जाएगा।

शहरी कायाकल्प अभियान के तहत वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं का खण्ड-वार विश्लेषण इस प्रकार हैः

ए. शहर के भीतरी हिस्सों का कायाकल्प

इस के अन्तर्गत 50 करोड़ रु0 की परियोजनाओं का प्रस्ताव है। अन्य ग्राह्य घटकों के अलावा इसमें शामिल घटक हैं- 1 करोड़ रु0 की लागत से नए बिजली खम्भे लगाकर जहां यह घटक अभियान (मिशन)-1 में ग्राह्य नहीं है, सी.डी.पी. में कहा गया है कि शहर के भीतरी हिस्सों में सर्वाधिक कच्ची बस्तियाँ (स्लम) हैं अतः यह घटक मिशन-2 में ग्राह्य हो जाता है (सी.डी.पी. पृष्ठ-115)।

बी. जल आपूर्ति

सूरत नगर निगम क्षेत्र में जल आपूर्ति हेतु 222.10 करोड़ रु0 की परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित परियोजनाएं जलशोधन संयंत्रों, जलपूर्ण भराव कुओं, जलाशयों, जल आपूर्ति नेटवर्क, 24X7 जल आपूर्ति, पम्प व्यवस्था तथा जल भंडारण व वितरण केन्द्रों के विद्युतीकरण- यंत्रीकरण बाबत हैं।

<u>सूरत नगर निगम क्षेत्र</u>

1. जलशोधन संयंत्र के लिए कुल प्रस्तावित राशि 54.22 करोड़ रु0 (पृष्ठ 120) है। किन्तु पृष्ठ 31 की सूचना के अनुसार संस्थान वाटर वर्क्स पर जल शोधन संयंत्र (लागत 24.22 करोड़ रु0) का काम पहले से चालू है। अतः इस प्रोजेक्ट को शहरी कायाकल्प अभियान में धन के लिए प्रस्तावित नहीं किया जा सकता और तदनुसार इस शीर्षक के अन्तर्गत केवल 30 करोड़ रु0 की जरूरत होगी।

2. सर्विस रिजर्वोयर्स (जल आपूर्तिकारी जलाशयों) के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु कुल 50.34 करोड़ रु0 की राशि का प्रस्ताव किया गया है। लेकिन पृष्ठ 31 की सूचना के अनुसार तसवीर इस प्रकार नजर आती है **:**

   (क) कटारगाम वाटर वर्क्स पर 5.00 करोड़ रु0 की लागत से 225 लाख लीटर क्षमता का भूमिगत सर्विस रिजर्वोयर का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है, अतः वह धन पाने का पात्र नहीं है।

   (ख) 225 लाख लीटर जल क्षमता के दो भूमिगत सर्विस जलाशय बूस्टर हाउस व्यवस्था के साथ सरथाना वाटर वर्क्स और रेन्देर वाटर वर्क्स (क्रमशः 4.02 करोड़ रु0 और 4.85 करोड़ रु0) पहले से ही निर्माणाधीन है अतः वे भी धन पाने के पात्र नहीं हैं।

परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और पूर्व निर्माण में 13.87 करोड़ की राशि खर्च हुई है।

(ग) पृष्ठ 121 पर 24X7 जल आपूर्ति हेतु 15.30 करोड़ रु0 का प्रस्ताव पेश किया गया है। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि इसमें क्या-क्या है। ये ब्यौरे दिए जाएँ।

इस प्रकार सूरत नगर निगम हेतु जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए कुल 184.01 करोड़ रु0 की राशि बनती है।

<u>सूरत शहरी विकास प्राधकिरण क्षेत्र (सूडा एरिया)</u>

सूडा एरिया में जल आपूर्ति परियोजनाओं हेतु 396.00 करोड़ रु0 मांगे गये हैं। ये परियोजनाएं वर्ष 2019 व 2034 के लिए हैं। यह समझ से परे है कि वर्ष 2019 को ही क्यों लिया गया है जबकि नगर निगम के प्रसंग में यह वर्ष 2011 है। यदि वर्ष 2019 के प्रस्ताव को मान भी लिया जाए तो वर्ष 2034 के प्रस्ताव को कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सूडा क्षेत्र हेतु सी.डी.पी. में दी गई राशि 30.277 करोड़ रु0 बनती है, पृष्ठ 163 पर दी गई 396 करोड़ रु0 नहीं।

इस पर सूडा से बात हुई और उन्होंने संशोधित राशि के आंकड़े दिये हैं जो अनुलग्नक 3क पर हैं।

सी. सीवरेज (अपजल निकासी)

<u>सूरत नगर निगम क्षेत्र</u>

इस क्षेत्र हेतु सीवरेज के लिए 291 करोड़ रु0 का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें कतिपय अपात्र परियोजनाएं भी शामिल हैं यथाः

(क) चार स्थानों पर 32 करोड़ रु0 की लागत के सीवेज गैस आधारित विद्युत संयंत्र और

(ख) पेन्डेसा गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जी.आई.डी.सी.)-सी.ई.टी.पी. लागत 72 करोड़ रु0

सी.ई.टी.पी. सेंट्रल एनवायरनमेंट टेकनालॉजी प्लांट संबंधित उद्योगों द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तावित किया जाना चाहिए, शहरी कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत नहीं।

सिंगनपुर में 25 करोड़ रु0 की लागत से एक टरशरी (अंतवर्ती) शोधन संयंत्र लगाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। किन्तु सी.डी.पी.से यह जाहिर नहीं होता कि यह प्रस्ताव करने से पूर्व सेकंडरी (मध्यवर्ती) शोधन संयंत्र के विकल्प की संभावना पर भी गौर किया गया था या नहीं?

सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) क्षेत्र

चूंकि सूडा क्षेत्र में पर्याप्त सीवरेज सुविधाएं (शोधन व निपटान व्यवस्था सहित) नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र के लिए वर्ष 2019 हेतु 61.47 करोड़ रु0 की परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। लेकिन इन सूडा परियोजनाओं की कुल लागत पृष्ठ 163 पर 420 करोड़ रु0 बताई गई है। इसे स्पष्ट किया जाए।

डी. बरसाती पानी की निकासी

इस शीर्ष के अन्तर्गत सूरत नगर निगम को कोई परियोजना नहीं दी गई है, लेकिन जल निकासी से संबंधित "पर्यावरण सुधार" के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाएं यहां दिखाई जानी चाहिए थीं।

सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) ने अपने क्षेत्र के लिए 77.81 करोड़ रु0 की लागत की तीन परियोजनाएं (पृष्ठ 132) बताई हैं। किन्तु उनके ब्यौरे नहीं दिए गये हैं, ये ब्यौरे सी.डी.पी. में दिए जाएं।

ई. कचरा निपटान व्यवस्था

सूरत नगर निगम हेतु 8 करोड़ रु0 की परियोजनाएं दर्शाई गई हैं (पृष्ठ 163)। किन्तु ब्यौरे केवल 6 करोड़ रु0 की लागत राशि के दिए गये हैं। निवेश प्रस्ताव मुख्यतः उपकरण, मशीनरी व वाहनों की खरीद के लिए दिए गये हैं।

इस शीर्ष के अन्तर्गत सूडा क्षेत्र की कोई परियोजना नीतिखण्ड में नहीं है। किन्तु सारांश तालिका (पृष्ठ 163) में 80 करोड़ रु0 की परियोजनाएं दर्शाई गई हैं। इनके ब्यौरे सी.डी.पी. में दिए जाएं।

एफ. सड़कें व यातायात व्यवस्था

यातायात व्यवस्था

इस शीर्ष के अन्तर्गत सूरत नगर निगम क्षेत्र हेतु 415.73 करोड़ रु0 की परियोजनाएं पेश की गई हैं। सबसे अधिक राशि (यानी 160 करोड़ रु0) **पज़ल पार्किंग** (जलेबीनुमा वाहन ठहराव चौंक) के लिए बतायी गई है, जो पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाओ-अपनाओ-सौंपो (बी.ओ.टी.) आधार पर विकसित किया जाएगा। त्वरित जनपरिवहन प्रणाली के लिए 112.25 करोड़ रु0, 'स्वचालित सीढ़ीनुमा पैदल पुल/भूमिगत पारपथ' के लिए 102 करोड़ रु0 का प्रस्ताव किया जा रहा है। (इस परियोजना को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती)। शेष राशि का इस्तेमाल रोड डिवाइडर (विभाजक) ट्रैफिक आइलैंड (चौक) व जंकशन (चौराहा) सुधारों, टाइमर (समय मापी) व कैमरायुक्त सिग्नलों, एरिया ट्रैफिक कंट्रोल,

सुरक्षा उपायों व प्रतीकों, तापसह प्लास्टिक (थर्मोप्लास्टिक) रोड मार्किंग पेन्ट तथा सिटी बस परिवहन के निजीकरण (9 करोड़ रु0 - यह स्पष्ट नहीं कि इस राशि की क्यों जरूरत है) के लिए होगा।

मंत्रालय निर्णय ले सकता है कि क्या ट्रैफिक (यातायात) व्यवस्था घटकों के लिए शहरी कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत धन दिया जा सकता है? इस हेतु यह पता लगाना होगा कि इनमें से कितने घटक सूरत नगर निगम कार्य का हिस्सा हैं और कितने राज्य सरकार का हिस्सा हैं।

<u>सड़कें</u>

<u>सूरत नगर निगम क्षेत्र</u>

इस के अन्तर्गत बड़ी सड़कों को चौड़ा करने तथा सीमेंट कन्क्रीट सड़कों में बदलने, उनके लिए सम्पर्क मार्ग बनाने, रिंग रोड को पूरा करने तथा पुलों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। पृष्ठ 142 व 143 पर जहां 981.89 करोड़ रु0 की परियोजनाएं बताई गई हैं वहीं पृष्ठ 163 पर शहरी कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत के 748.40 करोड़ रु0 की परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। पृष्ठ 142-143 से यह जाहिर नहीं होता कि उनमें कौन सी परियोजनाएं शहरी कायाकल्प अभियान के लिए प्रस्तावित है, तथा कौन सी राज्य सरकार व स्थानीय निकाय से वित्तपोषण के लिए हैं।

प्रस्तावित परियोजनाओं में से 748.40 करोड़ रु0 की राशि सड़कोपरि पुलों व अन्य पुलों के लिए दिखाई गई हैं, जबकि 233.49 करोड़ रु0 की राशि सड़कों को चौड़ा करने व सीमेंट-कंक्रीट सड़कों में तब्दील करने के लिए दर्शाई गई हैं।

<u>सूडा क्षेत्र</u>

इस क्षेत्र हेतु 89.30 करोड़ रु0 की परियोजनाओं का प्रस्ताव है। ये चार लेन की रिंग रोड तथा 20 टीपी स्कीमों की सड़कों के लिए है।

जी. आवास निर्माण व स्लम सुधार

सूरत नगर निगम क्षेत्र के लिए अनेक नगर नियोजन स्कीमों के तहत ई डब्लू एस आवास निर्माण शुरू किया जाएगा (पृष्ठ 46), लेकिन इन स्कीमों के लागत अनुमान नहीं दिए गये हैं।

पृष्ठ 163 की तालिका में 738.85 करोड़ रु0 की निवेश जरूरत दिखाई गई है लेकिन सी.डी.पी. में उसके ब्यौरे नहीं दिए हैं, जो दिखाये जाएं।

सूडा क्षेत्र के लिए पृष्ठ 147 पर 100 करोड़ रु0 की परियोजनाएं दी गई हें। लेकिन पृष्ठ 163 पर प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए 351.75 करोड़ रु0 की राशि दर्शाई गई है। इस विसंगति को दूर किया जाए।

एच. पर्यावरण

'पर्यावरण' शीर्ष के अन्तर्गत 163 करोड़ रु0 की परियोजनाएं दी गई है (पृष्ठ 163)।

इसमें सिंगनपुर में 25 करोड़ रु0 के सीवरेज खंड में पूर्व प्रस्तावित टरशरी शोधन संयंत्र की परियोजना भी शामिल है, इसे हटाया जाए।

जल निकासी हेतु 27 करोड़ रु0 की परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जबकि नगर वानिकी (यानी वृक्षारोपण) के लिए 2 करोड़ रु0 की परियोजना प्रस्तावित है, जो मूलतः वायु प्रदूषण की समस्या हल करने के लिये है। इन परियोजनाओं को पात्र माना जा सकता है।

तापी नदी पर बहुउद्देश्यीय बांध निर्माण के लिए 50 करोड़ रु0 की राशि मांगी है। यह शहरी कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत ग्राह्य घटक नहीं है। बाढ़ की रोकथाम हेतु 59 करोड़ रु0 की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं को शहरी कायाकल्प अभियान के तहत धन देने के बारे में मंत्रालय विचार कर सकता है।

आई. शहरी शासन

इस शीर्ष के अन्तर्गत 5 करोड़ रु0 की जी आई एस परियोजना का प्रस्ताव है (पृष्ठ 156)।अब मंत्रालय को यह देखना होगा कि क्या इस परियोजना को मंत्रालय की ई-गवर्नेंस स्कीम में स्वीकार किया जा सकता है।

सारांश

परियोजनाओं की सेक्टर-वार समरी पृष्ठ 163 पर है। प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु सूरत नगर निगम और सूडा दोनों क्षेत्रों के लिए कुल 7156.45 करोड़ रु0 की राशि मांगी गई है।

सूरत नगर निगम क्षेत्र के लिए 4639.20 करोड़ रु0 की राशि मांगी गई है, जिसमें 321.6 करोड़ रु0 की निम्नलिखित अपात्र परियोजनाएं भी शामिल हैं :

1. साइंस सेंटर, म्यूजियम, आर्ट गैलरी - 50.0 करोड़ रु0
2. ट्रेड सेंटर (व्यवसाय केन्द्र) - 22.0 करोड़ रु0
3. बूचड़ खाना - 9.0 करोड़ रु0
4. सामाजिक सुविधा ढांचा - 38.6 करोड़ रु0
5. आलिया बेट विकास - 202.0 करोड़ रु0

उपर्युक्त के अलावा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 110 करोड़ रु0 की एकीकृत सड़क विकास परियोजना (पृष्ठ 160) का जो प्रस्ताव है, वह पृष्ठ 142 पर सड़कों व पुलों के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं से किस प्रकार भिन्न है। इसे स्पष्ट किया जाए।

तापी नदी मुहाना विकास परियोजना 1000 करोड़ रु0 के लिए प्रस्तावित है। पृष्ठ 161 पर इस परियोजना के ब्यौरों में 1710.0 करोड़ रु0 की राशि लिखी है। इस तालिका से यह जाहिर नहीं होता कि परियोजना के कौन से घटक शहरी कायाकल्प अभियान में प्रस्तावित हैं।

कुल निवेश आवश्यकता

प्रस्तावित अपात्र परियोजनाओं को निकाल देने पर सूरत नगर निगम क्षेत्र के लिए अपेक्षित धन राशि 4639.20 करोड़ रु0 से घटकर 3200 करोड़ रु0 रह जाती है। इसमें सूडा की 2517.25 करोड़ रु0 की अपेक्षित राशि शामिल करने पर सूरत नगर विकास योजना के लिए अपेक्षित राशि घटकर करीब 5700 करोड़ रु0 रह जाती है।

सी.डी.पी. में प्रस्तावित परियोजनाओं का प्राथमिकता क्रम नहीं दिया गया है।

पूंजी निवेश योजना

इस खंड में पूंजी निवेश योजना, पूंजी निवेश की प्रक्रिया तथा बहु वर्षीय निवेश कार्यक्रम का समावेश है। सी.डी.पी. में 7156.45 करोड़ की निवेश राशि मांगी गई है, जिसमें से 4639.20 करोड़ रु0 सूरत नगर निगम क्षेत्र हेतु तथा 2517.25 करोड़ रु0 सूडा क्षेत्र हेतु है। नगर निगम की निवेश राशि में से 39% राशि सड़कों व पुलों हेतु, 21% नदी तट/संरक्षण हेतु तथा 16% राशि स्लमों/ई डब्लू एस/एल आई जी आवास हेतु है। लेकिन निवेश योजना में यह नहीं बताया गया कि अपेक्षित राशि किन मानकों व मानदंडों पर आकलित की गई है।

कुल मिलाकर सी.डी.पी. की रचना सही है। इसमें नगर निगम के सभी पहलुओं का समावेश है। चूंकि योजना में सूडा क्षेत्र के लिए भी प्रस्ताव है अतः जाहिर है कि सूरत शहर अपनी सीमा के भावी विस्तार के लिए कटिबद्ध है। सूरत नगर निगम ने निवेश राशियों के संपोषण के प्रति अपनी वित्तीय ताकत और योग्यता का संकेत दिया है।

सी.डी.पी. जहां व्यापक रूप से स्वीकार योग्य है, वही उसे पूर्ण मानने के लिए कुछ अतिरिक्त सूचना आवश्यक होगी।

सूरत से अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी

सी.डी.पी. को पूर्ण मानने के लिए, सूरत शहर निम्न लिखित जानकारी दें :

1. जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप के आंकड़े तथा उन का विश्लेषण यानी कितनी वृद्धि प्राकृतिक है और कितनी आवासन से तथा कितनी क्षेत्र विस्तार के कारण है।
2. आवासन के आंकड़े (भले ही अनुमानित हों) तथा उनका विश्लेषण तथा यह संकेत कि ये जानकारी जनसंख्या भविष्यवाणी के अनुसार गुणक रूप में है या नहीं?

सूरत नगर निगम :

जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप नीचे दिया गया हैः

जनसंख्या प्रायोजन सूरत शहरी बस्ती के बारे में है। किन्तु नगर निगम क्षेत्र हेतु उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार संख्या इस प्रकार है :

जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप

1.	जनसंख्या (1991)	14,98,817
2.	जनसंख्या (2001)	24,33,835
3.	जनसंख्या वृद्धि	9,35,810
4.	दशकीय वृद्धि दर	62.30%
5.	कुल जन्मे बच्चे	4,45,290
6.	कुल मृत व्यक्ति	86,753
7.	जनसंख्या में निबल प्रा. वृद्धि	3,58,537
8.	प्राकृतिक वृद्धि दर	23.92%
9.	आवासन से दशकीय वृद्धि दर	38.38%
10.	आवासन से वार्षिक वृद्धि दर	3.8%

उपर्युक्त के आलोक में आवासन (माइग्रेशन) के कारण सूरत शहर की जनसंख्या की वृद्धि दर 3.5% से 4.0% है।

अगले 6-7 वर्षों के लिए निर्धारित सभी विकास परियोजनाएं (आवास परियोजनाओं सहित) समग्र जनसंख्या प्रायोजन पर आधारित है। प्रायोजन में आवासन पहलू भी शामिल है। सूरत की विगत तीन दशकों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देश में सर्वाधिक वृद्धि दर ठहरती है, जो आवासन कारक के कारण है। वृद्धि दर के रूझान को जनसंख्या प्रायोजन के लिए अपनाया गया है अतः कार्रवाई योजना में भी इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अनौपचारिक सेक्टर (यानी गैर सरकारी नागरिक सेक्टर) सूरत की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। सूरत नगर निगम ने योजना निर्माण और योजना कार्यान्वयन के दौरान इस सेक्टर के विभिन्न ठोस उपाय - जैसे शहर के कई हिस्सों में फेरी वाला क्षेत्र निर्धारण, विकलांगों के लिए स्टाल, छोटे स्टालों के लिए एक अलग से म्यूनिसिपल सब्जी बाजार तथा प्रत्येक नगर नियोजन स्कीम में स्थानीय वाणिज्यिक परिसर आदि - किये हैं। ई डब्लू एस आवास तथा वाल्मिकि अम्बेडकर आवास योजना (वैम्बे) में ऐसे सेक्टर की आवास जरूरतों पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा सूरत नगर निगम ने शहरी गरीबी के

लिए भी भेस्तान और कोसद इलाकों में पहले ही जमीन अधिग्रहीत कर ली है तथा विभिन्न औद्योगिक इलाकों में उद्योग मजदूरों के लिए मकान बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, मिश्रित भू-उपयोग पर नियोजित किए जाने के फलस्वरूप औद्योगिक इलाकों में कार्यस्थल के नजदीक मजदूरों को घर सुलभ कराने के लिए रिहायशी भू-उपयोग भी निर्धारित किया गया है।

3. संस्थाई दायित्व मैट्रिक्स में प्रत्येक संस्था की भूमिका है।

सूरत नगर निगम :

प्रायवेट सेक्टर सहित संस्थाई दायित्व - मैट्रिक्स नीचे दिया गया है :

संस्थाई दायित्व मैट्रिक्स (संशोधित सी.डी.पी. में शामिल)

क्र. सं.	**सेक्टर**	**जिम्मेवार प्रदाता एजेंसी**	
		प्रदायन व्यवस्था	**परिचालक व अनुरक्षण**
1.	जल आपूर्ति	एस.एम.सी./सूडा	आउट सोर्सिंग+ एस.एम.सी.
2.	सुरक्षित पेयजल वितरण झील, नदी आदि सहित	एस.एम.सी./सूडा	आउट सोर्सिंग+ एस.एम.सी.
3.	सीवरेज (अपजल निकासी)	एस.एम.सी./सूडा	आउट सोर्सिंग+ एस.एम.सी.
4.	सड़कें	एस.एम.सी.	एस.एम.सी.
5.	परिवहन	गुजरात राज्य सड़क प. निगम एस.एम.सी./पीपीपी	नगर निगम का सी.एन.जी. बस सेवा प्रस्ताव
6.	पथ प्रकाश	एस.एम.सी.	आउट सोर्सिंग
7.	कचरा निपटान	एस.एम.सी.	आउट सोर्सिंग
8.	स्वास्थ्य	एस.एम.सी./पी पी	एस.एम.सी.
9.	शिक्षा	एस.एम.सी./पी पी	एस.एम.सी. (80% गुजरात सरकार+20% निगम)
10.	अग्निशमन	एस.एम.सी./गुजरात सरकार	एस.एम.सी.
11.	पार्क व खेल मैदान	एस.एम.सी./पी पी	एस.एम.सी.
12.	आपदा प्रबंधंन	एस.एम.सी.+ गुजरात सरकार	एस.एम.सी.
13.	यातायात व्यवस्था/इंजीनियरिंग	एस.एम.सी./पी.पी.पी.	एस.एम.सी.+ पी.पी.पी.

4. सेवा प्रदायगी में प्रायवेट सेक्टर की भूमिका पर जानकारी।

5. सेवाओं की लागत व वसूली पहलू।

सूरत नगर निगम (एस एम सी)

प्रत्येक सेवा की परिचालन व अनुरक्षण खर्च की वसूली व्यवस्था नीचे की तालिका में है :

सेवाएं व लागत वसूली व्यवस्था (संशोधित सी. डी. पी. में शामिल)

क्र.सं.	सेक्टर	लागत वसूली उपाय (प्रचलित)
1.	जल आपूर्ति	जल कर, नल लगाने व हटाने का खर्च, सड़क बहाली खर्च, गैर रिहायशी प्रयोक्ताओं के लिए मीटरी आपूर्ति के खर्चे
2.	सुरक्षित जल वितरण (झील व नदी सहित)	संरक्षण कर व मनोरंजन हेतु प्रयोक्ता शुल्क
3.	सीवरेज	निकासी कनेक्शन फीस + संरक्षण खर्च
4.	सड़कें	वाहन कर/सड़क बहाली खर्च/किराया/विज्ञापन शुल्क
5.	परिवहन	
6.	पथ प्रकाश	
7.	कचरा निपटान प्रबधन व स्वास्थ्य	प्रायवेट अस्पतालों व नर्सिंग होम के जैव चिकित्सा कचरे का खर्च व प्रवर्तन प्रचार
		निवारक स्वास्थ्य संरक्षण कर प्रवर्तन प्रभार व चिकित्सालय उपयोग खर्च
8.	शिक्षा	शिक्षा उपकर - 80% वसूली
9.	पार्क व खेल मैदान	वाणिज्यिक कारोवार व निकास हेतु प्रयोक्ता फीस
10.	आपदा प्रब्रधंन	-

आगे प्रत्येक सेवा के भावी परिचालन व अनुरक्षण खर्चों हेतु अतीत की वृद्धि दरों तथा संभावित भावी वृद्धियों को ध्यान में रखकर आवश्यक प्रायोजन किये गये हैं। इन सेवाओं के परिचालन व अनुरक्षण के लागत व्यय की वसूली के लिए विभिन्न करों व प्रभारों की मार्फत नगर निगम सीधे 40% -50% की वसूली कर रहा है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय के सुधार एजेन्डा में प्रयोक्ता प्रभारों के प्रायोजन श्रेणी वार किए गये हैं। बड़ी आधारभूत सुविधा परियोजनाओं में परिचालन व अनुरक्षण खर्च घटाने के लिए ऊर्जा-आडिट (अंकेक्षण), ई-गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों का सहारा लिया गया है।

6. गरीबों की आवास - जरूरतों की जानकारी

सूरत नगर निगम :

स्लम वासियों के लिए आवास निर्माण के अध्याय में संशोधन करके ई-डब्लू एस श्रेणी तथा शहरी गरीबों के लिए आवास श्रेणी के अन्तर्गत भावी आवास जरूरतों पर बड़े पैमाने पर विचार किया गया है।

संशोधित सी.डी.पी. में इस बाबत एक वृहत योजना शामिल की गई है। इसमें बाहर से आनेवाले मजदूरों की संभावित संख्या का भी ध्यान रखा गया है।

7. बताया जाए कि सिंगनपुर सीवेज शोधन संयंत्र के लिए टरशरी (अंतवर्ती) शोधन संयंत्र का प्रस्ताव करने से पूर्व क्या सेकंडरी (मध्यवर्ती) शोधन विकल्प पर विचार किया गया था?

सूरत नगर निगम :
सीवेज आधारित विद्युत संयंत्र यू ए एस बी का हिस्सा होते हैं जो सीवेज के अंतवर्ती (टरशरी) शोघन पर आधारित होते हैं और केवल सीवरेज प्रणाली के अन्तर्गत आते हैं। देश में इस प्रकार की तकनालॉजी शुरू और लागू करना भारत में अन्य शहरों के लिए ऊर्जा संरक्षण के लिए एक रोल मॉडल होगा। चूंकि सिंगनपुर सीवेज शोधन संयंत्र तापी नदी के उच्च प्रवाह पर स्थित है अतः नगर निगम के लिए यह आवश्यक है कि सीवेज को ग्राह्य मानक तक शोधित करके नदी में प्रवाहित किया जाए अतः अनुरोध है कि राष्ट्रीय शहरी कायाकल्प अभियान में सिंगनपुर अंतवर्ती (टरशरी) शोधन संयंत्र के शामिल करने पर विचार किया जाए और उसके लिए वित्तपोषण किया जाए।

सिंगनपुर शोधन संयंत्र में फिलहाल सीवेज को मध्यवर्ती स्तर पर शोधित किया जाता है। यानी अधूरा शोधित किया जाता है, जिसमें सूरत शहर का उत्तरी क्षेत्र और समीप एवं ग्रामीण क्षेत्र शामिल है। निगम ने सभी शोधन संयंत्र में मध्यवर्ती स्तर के शोधन को अपनाया है।

8. सूडा क्षेत्र हेतु सीवेज के लिए अपेक्षित निवेश राशियां ब्यौरे वार सही की जाए।

9. सूडा क्षेत्र के लिए बरसाती पानी निकासी परियोजनाओं के ब्यौरे दिए जाएं।

सूरत नगर निगम :
नगर निगम ने संशोधित सी.डी.पी. में नई परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है तथा 'पर्यावरण सुधार' सेक्टर को संशोधित कर दिया है।

10. सूडा क्षेत्र हेतु कचरा निपटान परियोजनाओं के ब्यौरे

सूरत नगर निगम :
कचरा निपटान : निगम ने संशोधित सी.डी.पी. में प्रस्तावित परिव्यय के ब्यौरे सही कर दिए हैं।

11. यातायात व्यवस्था के कितने घटक सूरत नगर निगम कार्यों का हिस्सा है और कितने राज्य सरकार के पास हैं?

सूरत नगर निगम :
सड़क व यातायात व्यवस्था : यातायात इंजीनियरी, नगर व्यवस्था तथा सेवा व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। यातायात इंजीनियरी शहरी स्थानीय निकाय का कार्य है तथा उसकी मानीटरिंग (निगरानी)

पुलिस के कार्य दायरे में है। अतः ट्रैफिक इंजीनियरी के अन्तर्गत विभिन्न भीड़ वाले इलाकों में बहुमंजिली पार्किंग, एम आर टी एस (इस समय जन परिवहन प्रणाली से संयुक्त) के अन्तर्गत त्वरित बस परिवहन प्रणाली, नगर बस परिवहन का निजीकरण, पैदल पार-पुल/भूमिगत मार्ग व एस्कलेटर्स की मार्फत पैदल आवागमन, एरिया ट्रैफिक कंट्रोल जंक्शन आवागमन, समयमापी यंत्र (टाइमर्स) व कैमरों के साथ सड़कों पर यातायात सिग्नल (बत्तियां), सिरोपरि ठहराव संकेतों (ओवर हैड गंत्री साइनेज) के साथ सड़क चिन्ह, तथा सड़क विभाजकों जैसे सड़क सुरक्षा चिन्ह एवं अंकन, ट्रैफिक अकादमी के गठन की मार्फत नागरिकों में सड़क यातायात नियमों की जानकारी देना आदि कार्य नगर निगम स्वयं करना चाहेगा। उपर्युक्त सभी कार्य सूरत नगर निगम के अनिवार्य कार्य हैं। अतः मंत्रालय को यह बात समझनी चाहिए। अस्तु सभी सड़कों व सड़कोपरि पुलों (फ्लाईओवरों) की परियोजनाएं शहरी कायाकल्प अभियान हेतु प्रस्तावित की गई हैं।

सड़कों के लिए पृष्ठ 142-143 की कौन सी परियोजनाएं शहरी कायाकल्प अभियान में प्रस्तावित हैं?

सूरत नगर निगम :

शहरी शासन : अनिवार्य सुधार-उपयोगिताओं के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) के भाग स्वरूप जी आई एस परियोजनाएं शहरी कायाकल्प अभियान में प्रस्तावित की गई हैं। इस पहलू को विभिन्न बैठकों में सुधार के भाग स्वरूप उठाया जाता रहा है। अतः केन्द्रीय शहरी कायाकल्प अभियान में इन परियोजनाओं के लिए धन देने पर विचार किया जाए। ई-गवर्नेंस को अलग सेक्टर मान कर नगर निगम ने आई टी पालिसी तैयार की है और सूचना प्रणाली विभाग का गठन किया है तथा निगम-वर्ती कई आवश्यक कार्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं।

सारांश : एकीकृत सड़क विकास परियोजना शहर के चतुर्दिक सड़क नेटवर्क के विकास हेतु है। इसमें बड़े राष्ट्रीय तथा राजकीय राजमार्गों से मुख्य या उपमुख्य पहुंच मार्ग (सड़के) शामिल हैं। शहर की पहचान और दायरे को ध्यान में रख कर एकीकृत सड़क विकास परियाजना में 'आधुनिक मानक पथों' का निर्माण व विकास शामिल है। आर्थिक संवृद्धि एवं बाजार व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक और व्यापारिक विकास की मदद के भी साधन होते हैं। अतः एकीकृत सड़क विकास की परियोजनाओं को शहरी कायाकल्प अभियान के वित्तपोषण के अन्तर्गत ग्राह्य घटक के रूप में विचार किया जाए। स्पष्टीकरण के प्रयोजन से 'सड़क' श्रेणी के अन्तर्गत सड़क परियोजनाएं सीमेंट-कंक्रीट सड़कों की बाबत है, जिनमें अनुरक्षण की जरूरत नहीं होती, फलतः ओ एड एम खर्चे भी कम होते हैं।

पृष्ठ 146 पर टी.पी. स्कीमों में ई डब्लू एस आवासों के लागत अनुमान दिए जाएं।

सूरत नगर निगम :

आवास व स्लम विकास : संशोधित सी.डी.पी. में टी पी स्कीम ई डब्लू एस आवास के अनुमान शामिल कर दिए गये हैं। शहरी गरीबों के आवास निर्माण की पूर्ण वृहत योजना तैयार की गई है और उसे संशोधित सी.डी.पी. में शामिल कर दिया गया है।

12. तापी नदी मुहाना विकास परियोजना के कौन से घटक शहरी कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किए जा रहे हैं?

सूरत नगर निगम :

पर्यावरण - तापी नदी पर बहु प्रयोजन बांध (बराज) को जल स्रोत व्यवस्था, बाढ़ से बचाव, नदी संरक्षण तथा समुद्री ज्वार भाटा पानी से खारापन के अन्तःक्रमण (इन्ग्रेस) की रोकथाम हेतु हाथ में लिया गया है। अतः अनुरोध है कि इस परियोजना के लिए वित्तपोषण किया जाए।

तापी नदी मुहाना विकास : संशोधित सी.डी.पी में शामिल संशोधित अनुमानों के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत 1570 करोड़ रु0 है। पूर्णता की अवधि 10 वर्ष है और तदनुसार अगले 7 वर्षों के लिए परियोजना की अनुमानित लागत 1570 करोड़ रु0 मानी गई है। प्रारंभिक स्तर पर बराज और नदी संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य जल संरक्षण, भूगर्भीय जल स्तर में सुधार, जल पुनः भरण, नदी तट के स्लम वासियों तथा अनौपाचिक सेक्टर के पुनर्वास का है। नगर निगम के लिए यह आगामी महत्वपूर्ण पर्यावरण सुधार परियोजना है अतः इसका पूरा वित्त पोषण किया जाए।

13. वित्तपोषण हेतु परियोजनाओं का प्राथमिकता - क्रम निर्धारण

सूरत नगर निगम :

भावी संकल्पना और कार्यनीतियां : चालू वर्ष और अगले वर्ष के लिए परियोजनाओं का अलग से प्राथमिकता क्रम निर्धारित करके राज्य सरकार को बता दिया गया है। प्राथमिकता क्रम के अनुसार राज्य सरकार की मार्फत डी पी आर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) केन्द्र सरकार को भेज दी गई है। सात वर्षों की समूची अवधि की योजना हेतु प्राथमिकता क्रम इस समय तकनीकी क्षमता, उपलब्ध श्रमशक्ति, धन की उपलब्धता,समय कारक आदि को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जा रहा है। प्रारम्भिक वर्षों में आधार ढांचा सुविधाओं तथा न्यूनतम बुनियादी सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है। अगली प्राथमिकताएं सेवा प्रदायगी में गुणात्मक सुधार जैसे 24X7 जल आपूर्ति, एस सी एडी ए (स्काडा) व जी आई एस की परियोजनाओं को दी गई है। तथापि प्रत्येक सेक्टर में परियोजनाओं की प्रावस्था क्रम निर्धारण योजना में भी प्रत्येक सेक्टर के अन्तर्गत परियोजना की अंतरिम प्राथमिकता का उल्लेख है।

रा.न.का.संस्थान : अब सी.डी.पी. शहरी कायाकल्प अभियान की टूलकिट-2 के दिशा निर्देशों के अनुसार है।